

# न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

न्यायाधिकारी:- सुभाषचन्द्र (आर.टी.एस.)

निर्णय दिनांक :- 21.10.2022

सरकार बनाम किशनलाल पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

मुकदमा नम्बर :- 09/2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :- 21.10.2022

## :- आदेश :-

पटवारी पटवार हल्का गुढागौड़जी एंव भूअ. निरीक्षक गुढागौड़जी द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम गुढागौड़जी के भूमि ख.न. 3279/1716 रकबा 0.375 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.375 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी किशनलाल पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी गुढागौड़जी द्वारा मौके पर फसल काश्त मूंगफली व ग्वार कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामिल नोटिस के उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम गुढागौड़जी के भूमि ख.न. 3279/1716 रकबा 0.375 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.375 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी किशनलाल पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी गुढागौड़जी द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक गुढागौड़जी को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.00 का 50 गुणा 50/- /- रुपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.10.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
तहसीलदार गुढागौड़जी  
तहसीलदार गुढागौड़जी

